

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा

पन्नालाल पिता कचरू जाति ब्राह्मण बनाम लालजी पिता ताजेंग जाति पाटीदार वगैराह
निवासी बोरी निवासी बोरी

किसम मुकदमा:- अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या: 14/201

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए।
8.2.2019	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी पन्नालाल पिता कचरू जाति ब्राह्मण निवासी बोरी द्वारा प्रतिवादीगण लालजी पिता ताजेंग जाति पाटीदार वगैराह निवासी बोरी के विरुद्ध वाद पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.3.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा (राज0)</p>	
27.3.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी मय अतिरिक्त उपस्थित। वादी ने इमराह अतिरिक्त के उत्तर-पत्र उत्तर एवं उत्तरण को सिद्ध कराने के लिए किया। वादी अतिरिक्त द्वारा उत्तरण को Not प्रस्तुत किया गया। अतः पत्रावली अहकाम में कार्यवाही द्रोप की जाती है। पत्रावली केसल शुमाद होकर बाद दरबारा दाखिल रमाद है।</p> <p style="text-align: center;">५०</p>	<p>Notep 46 पत्रावली</p>